न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18 / 2019 **दायर दिनांकः 01.05.2019**

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 54 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जी मित्तल जाति अग्रवाल महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0। **प्रार्थी**

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0। **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री रामस्वरूप प्रसाद गोयल।

निर्णय

दिनांक 14.11.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 20 रकबा 0.46 है0 ख0नं0 21 रकबा 1.40 है0 किता 2 कुल रकबा 1.86 है0 माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संख्या 712 सम्वत् 2071—74 प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के काश्त मेडबन्दी, हदबन्दी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्तकारान में आये दिन विवाद बना रहता है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजीयात की समुचित काश्त नही कर पाता तथा हदबंदी को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है। प्रार्थी को मानसिक अशान्ती बनी रहती है। इन हालात में प्रार्थी के लिये अपने खाते की आराजीयात का सीमाज्ञान हदबंदी एवं मेडबन्दी तथा गुड्डी गडवाना चाहता है। ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जाये। प्रार्थी ने इस बाबत् तहसीलदार साहब अप्रार्थी से भी निवेदन किया था लेकिन उन्होने पत्थरगढी हदबंदी से दिनांक 11.04.2019 को मना कर दिया। इसी कारण कार्यवाही पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण पडौसी खातेदारान द्वारा जमीन की हदबंदी मेडबंदी से मना कर देने से अन्तिम बार दिनांक 11.04.2019 को उत्पन्न हुआ। विवादित आराजीयात माल कवाई तहसील अटरू में वाके है तथा मेडबंदी को लेकर विवाद भी कवाई तहसील अटरू में उत्पन्न हुआ लिहाजा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों की टीम बनाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी, हदबंदी कराते हुये मुड्डियॉ कायम कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई अप्रार्थी को समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी जिसमें प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम कवाई संवत् 2071–74 खाता संख्या 712 किता 2 रकबा 1.86 है0 खातेदार वादी के नाम दर्ज है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 712 ख0नं0 20 रकबा 0.46 है0 व ख0नं0 21 रकबा 1.40 है0 कुल किात 2 रकबा 1.86 है0 का सीमाज्ञान टीम बनाकर खातेदार की उपस्थित में किया जाकर पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 17:17:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: